[29/12/2020]

प्रश्न सं. [क्र. 823]

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/1971/2593/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17-10-18

प्रति,

आयुक्त
कोष एवं लेखा संचालनालय
पर्यावास भवन भोपाल

विषय :- समयमान वेतनमान प्राप्त करने के उपरांत नियमित पदोन्नति का परित्याग किये जाने की स्थिति में वेतन निर्धारण हेतु जारी निर्देशों के संबंध में मार्गदर्शन।

***

म0प्र0लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने अवगत कराया है कि कोष एवं लेखा संचालनालय के पत्र दिनांक 8-10-2012 के संलग्न वित्त विभाग की टीप के त्रुटिपूर्ण निर्वचन के परिणामस्वरूप उच्चतर समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त हो चुकने के पश्चात पदोन्नति के परित्याग के प्रकरणों मे पूर्व में दिये गये उच्चतर वेतनमान में लाभ को वापिस लिया जा रहा है।

2. उपर्युक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ-11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24-1-2008 की कंडिका 13 सुस्पष्ट है जिसके अनुसार पदोन्नति के परित्याग की स्थिति में पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान वापिस नही लिया जाना है। अतः अनुरोध है कि इस प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में ही प्रकरणों को निराकृत किये जाने हेतु कृपया अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित करने का कष्ट करे।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक/ /2593/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः-

1. अध्यक्ष, म.प्र.लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ जिला शाखा नरसिंहपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

Rule-319

अपर संचालक/डी.टी.ए./2018
आवक/क्रमांक/दिनांक 1248/26-10-18
जावक क्रमांक/दिनांक 1248/26-10-18

307
25.10.18

AD(RKS)
23/10

Put up

परिशिष्ट - ब

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्र0 एफ/569/1530/2020/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 8 /12/2020

शासन के समस्त विभाग,
मध्यप्रदेश ।

विषय :- मध्य प्रदेश राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु समयमान वेतन (Time Scale Pay) उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भ :- वित्त विभाग का परिपत्र क्र. एफ 11/1/2008/नियम/चार दिनांक 24 जनवरी, 2008 एवं आयुक्त, कोष एवं लेखा का पत्र क्र0 मा0द0/2020/104#Document Number# दिनांक 28/09/2020।

--00--

राज्य की सिविल सेवा के सदस्यों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से वर्तमान में प्रभावशील क्रमोन्नति योजना को संशोधित करते हुए समयमान वेतन उपलब्ध कराने हेतु योजना प्रभावशील की गई हैं जिसका पैरा-13 निम्नानुसार है:-

"इस योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात् यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व में स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं लिया जायेगा। परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।"

2/ उपर्युक्त संबंध में यह प्रश्न उद्भूत हुआ है कि दिनांक 01.04.2006 अथवा इसकी पश्चातवर्ती तिथि को समयमान वेतनमान की निर्धारित सेवावधि पूर्ण कर ली जाती है परन्तु समयमान वेतनमान हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की आयोजित बैठक के पूर्व ऐसे शासकीय सेवक को नियमित पदोन्नति प्राप्त होने पर उसके द्वारा पदोन्नति का परित्याग किया जाता है, तब उस शासकीय सेवक को समयमान के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति बैठक में क्या विचार किया जाना चाहिए ?

3/ उपर्युक्त संबंध में विचारोपरान्त निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है:-

"ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंनें दिनांक 01/04/2006 या पश्चातवर्ती तिथि को समयमान वेतनमान हेतु निर्धारित समयवधि पूर्ण कर ली है, परंतु समयमान हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि के पूर्व उनकी नियमित पदोन्नति होती है और वह पदोन्नति का परित्याग करता है तो उसे उक्त समयमान वेतनमान की वर्णित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचारण में नहीं लिया जा सकेगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव